

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
पंचायती राज,  
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 10 मई, 2018

विषय:-चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश की जिला पंचायतों को सामान्य समनुदेशन की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश की जिला पंचायतों को दी जाने वाली सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि 195000.00 लाख की 5% धनराशि (ए.टी.आर. में उल्लिखित संस्तुति संख्या-55 के अनुसार आडिट अनुशासन हेतु) एवं 0.15% धनराशि संस्तुति संख्या-23 के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान हेतु को छोड़कर 94.85% धनराशि में से 1% परिक्रमी निधि की धनराशि को घटाते हुए अवशेष 93.85% धनराशि **रूपये 183007.50 लाख (रूपये एक हजार आठ सौ तीस करोड़ सात लाख पचास हजार मात्र)** संस्तुति संख्या-57 के अनुसार संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार जिला पंचायतों को दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

निकाय का नाम	स्वीकृत धनराशि
जिला पंचायतें	183007.50 लाख

2- संलग्न सूची में उल्लिखित जिला पंचायतों को धनराशि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दी जा रही है।

3- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की जा रही है:-

(1) जिला पंचायतों को स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा शासनादेश के साथ संलग्न सूची में इंगित जिले के सम्मुख कॉलम-3 में जिला पंचायतों के लिये आवंटित धनराशि के अनुसार, **छः बराबर किशतों में ( प्रथम किशत तत्काल, द्वितीय किशत माह जुलाई, 2018 में, तृतीय किशत माह सितम्बर, 2018 में, चतुर्थ किशत माह नवम्बर, 2018, पाँचवीं किशत माह जनवरी, 2019 तथा छठीं किशत माह मार्च, 2019 में )** कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ से आहरित कर ई-पेमेंट के द्वारा सीधे जिला पंचायतों के खाते में जमा की जायेगी। निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ई-पेमेंट हेतु जिला पंचायतों का बैंक खाता एवं आई.एफ.एस.डी. कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है वह सही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(2) धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना, बाउचर संख्या व दिनांक सहित प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन गठित जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक को प्रेषित की जायेगी जो अपने स्तर से धनराशि के आहरण की संहत सूचना पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायेंगे।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(4) पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश स्वीकृत धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

4- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन" के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

आलोक दीक्षित  
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-09/2018/बी-2-770/दस-2018-2/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
- 9- उपनिदेशक, जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 11- निदेशक, पंचायती राज (लेखा), इन्दिरा भवन, 10 वां तल, लखनऊ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित  
संयुक्त सचिव।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक

में जिला पंचायतों हेतु व्यवस्थित धनराशि का आवंटन

अनुदान संख्या-61

3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-

196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-

03- राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत समनुदेशन -

0301- सामान्य समनुदेशन -

28- समनुदेशन

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्रम संख्या	जनपद	जिला पंचायतों को समनुदेशन
1	2	3
1	मेरठ	2463.28100
2	बागपत	1855.70000
3	गाजियाबाद	2207.07000
4	गौतमबुद्धनगर	1822.75500
5	बुलन्दशहर	3001.32300
6	हापुड़	2263.80300
7	सहारनपुर	2887.85800
8	मुजफ्फर नगर	2604.19700
9	शामली	1643.40700
10	आगरा	2962.89100
11	फिरोजाबाद	2229.03100
12	मथुरा	2331.51600
13	मैनपुरी	2016.74300
14	अलीगढ़	2816.48500
15	हाथरस	1925.23900
16	एटा	1903.27800
17	कांसगंज	1669.02800
18	मुरादाबाद	2060.66400
19	अमरोहा	1877.65700
20	रामपुर	2044.19400
21	बिजनौर	3292.30500
22	सम्भल	2057.00400
23	बरेली	3017.79400
24	बदायूं	2666.41900
25	शाहजहांपुर	2580.40600
26	पीलीभीत	2179.61900
27	लखनऊ	2618.83700
28	रायबरेली	2357.13700
29	सीतापुर	4154.27000
30	हरदोई	3729.69300
31	खीरी	3762.63400
32	उन्नाव	2893.34900

**अनुदान संख्या-61**

3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-

196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-

03- राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत समनुदेशन -

0301- सामान्य समनुदेशन -

28- समनुदेशन

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्रम संख्या	जनपद	जिला पंचायतों को समनुदेशन
1	2	3
33	बस्ती	2373.60700
34	सिद्धार्थनगर	2315.04500
35	सन्त कबीर नगर	1831.90500
36	गोरखपुर	3449.69100
37	देवरिया	2715.83100
38	कुशीनगर	3090.99700
39	महराजगंज	2466.94100
40	फैजाबाद	2459.62100
41	बाराबंकी	3182.50000
42	सुल्तानपुर	2505.37300
43	अम्बेडकर नगर	2357.13700
44	अमेठी	2538.31400
45	गोण्डा	3056.22500
46	बलरामपुर	2014.91200
47	बहराइच	2854.91700
48	श्रावस्ती	1297.52300
49	मिर्जापुर	2578.57600
50	संत रविदास नगर	1742.23100
51	सोनभद्र	2569.42500
52	वाराणसी	2419.35900
53	चन्दौली	1985.63100
54	गाजीपुर	3193.48100
55	जौनपुर	4007.86400
56	इलाहाबाद	4351.91800
57	कौशाम्बी	1978.31100
58	प्रतापगढ़	2957.40100
59	फतेहपुर	2556.61500
60	आजमगढ़	4042.63600
61	मऊ	2024.06300
62	बलिया	2818.31600
63	कानपुर नगर	1927.06900
64	कानपुर देहात	2293.08400
65	फर्रुखाबाद	1908.76800
66	इटावा	1824.58500
67	कन्नौज	1835.56500
68	औरैया	1777.00300
69	झांसी	1910.59800

**अनुदान संख्या-61**

3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-

196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-

03- राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत समनुदेशन -

0301- सामान्य समनुदेशन -

28- समनुदेशन

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्रम संख्या	जनपद	जिला पंचायतों को समनुदेशन
1	2	3
70	जालौन	1712.95000
71	ललितपुर	1733.08100
72	हमीरपुर	1498.83100
73	बांदा	1912.42800
74	चित्रकूट	1612.29600
75	महोबा	1429.28900
	<b>महायोग</b>	<b>183007.50000</b>